न्यायालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—76 / 2021.

दिनांकः—22.02.2021

आवेदक अभियुक्त—1. अमित कुमार की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने संचालित किया जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र कुमार को सुना। यह वाद श्यामपुर भटहां थाना काण्ड संख्या—01 / 21 अन्तर्गत धारा—307, 323, 341, 379, 448, 504 / 34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित है।

अभियोजन का मामला फर्दबयान के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—10.10.20 को समय 20:30 बजे सूचक रामबालक साह के घर पर जमीन विवाद को लेकर बृज बिहारी, अमित कुमार, गीता देवी सभी ग्राम नयागॉव भोरहा, थाना श्यामपुर भटहां एवं दो और आदमी आये, जो अपना मुँह गमछा से बॉध रखा था और सूचक को गाली—गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। बृजबिहारी साह अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचक के उपर प्रहार किया जिससे सूचक का सर फट गया और खून बहने लगा और सूचक गिर गया। गीता देवी सूचक के कुर्ता में रखा हुए 40000 / —रुपया ले लिया। सूचक को बचाने उसकी पोती आयी तो सभी लोग मिलकर जान मारने की नियत से घेरकर मारपीट कर बेहोश कर दिये तथा उसे बेहोशी की हालत में देखकर सभी लोग भाग गये। अगल—बगल के लोगों के सहयोग से शिवहर अस्पताल लेकर गया, वहॉ से एस0के0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया गया, जहॉ ईलाज चल रहा है। इसी आधार पर कांड़ अंकित हुआ।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। लगाया गया आरोप झूठा एवं आधारहीन है। इन्हें ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण इस वाद में फंसाया गया है। धारा—307, 379 भा0द0वि0 का आरोप मामले को गम्भीर बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। उभय पक्ष आपस में पट्टीदार हैं जिनके बीच पूर्व से जमीनी विवाद को लेकर उक्त घटना हुई है। आवेदक के विरूद्व धारा—307, 379 भा0द0वि0 का आरोप नहीं बनता है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद है। वास्तविकता है कि सूचक वगैरह ने ही आवेदक एवं उसके परिवाद के सदस्यों के साथ मारपीट किया था जिसके लिए आवेदक के चचेरा भाई ने श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या—185 / 20 दर्ज कराया है और उक्त मुकदमा से बचने एवं दबाव डालने के उद्देश्य से यह मुकदमा झुठा दर्ज कराया गया है। उभय पक्ष के मध्य ग्राम पंचायत सरपंच की उपस्थिति में उक्त विवाद का निपटारा करा दिया गया है। पंचनामा की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सहअभियुक्त—गीता देवी का अग्रिम जमानत पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा स्वीकृत हुआ है। आवेदक का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानत बंध—पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तों ने सूचक के साथ गंभीर मारपीट किया है। अतः आवेदक अभियुक्त अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।

उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त पर प्राथमिकी के नामित अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गंभीर मारपीट करने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कंडिका—6 पर साक्षी विनोद साह, कंडिका—18 पर साक्षी रामजी साह, कंडिका—35 पर जख्मी रामबालक साह, कंडिका—36 पर जख्मी पल्लवी कुमार, कंडिका—37 पर साक्षी धर्मेन्द्र ठाकुर का बयान है, जिसमें इन सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। वाद दैनिकी के साथ जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि चिकित्सक ने जख्मियों के जख्म को कठोर एवं भोथड़े पदार्थ से कारित होना पाया है लेकिन अपने मंतव्य को सुरक्षित रखा है। वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव आवेदक अभियुक्त—1. अमित कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को निष्पादित किया जाता है। साथ ही आवेदक अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर नियमित जमानत की याचना करें और निम्न न्यायालय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए समुचित आदेश पारित करें।

इसी मंतव्य के साथ इस अग्रिम जमानत संचिका का निष्पादित किया जाता है।

लेखा.एवं शद्धि.

ह0 / —

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

शिवहर।

22.02.2021.